रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122024-259373
CG-DL-E-12122024-259373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700]	नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2024/ अग्रहायण 20, 1946
No. 700]	NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024/ AGRAHAYANA 20, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 762(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायक (दू. स.) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार विभाग, दूरसंचार सहायक (दू. स.) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. -उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. -वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु कि यदि केन्द्रीय सरकार का ये समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति. - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
दूरसंचार सहायक (दू. स.)	31* (2024)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अनअनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रूपए)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयुसीमा शिथिल करके 40 वर्ष अवधारित की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग यथा विज्ञापित होगी।	**आवश्यक**: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से दूरसंचार अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा साइबर सुरक्षा और बिग डेटा विश्लेषण अथवा आईओटी अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा; या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी)। **वांछनीय**: (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से दूरसंचार

		अथवा इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस (एमएससी)। टिप्पण: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा के मामले में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष । टिप्पण: परिवीक्षा अवधि में दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित निश्चित समयावधि के लिए आज्ञापक प्रेरण प्रशिक्षण शामिल होगा।	100% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती करना (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिन से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, स्वायत या कानूनी संगठनों,पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रुपये (या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित हैं : (1) निदेशक, समूह 'क', दूरसंचार विभाग – अध्यक्ष; (2) सहायक महानिदेशक (एडीजी)/सहायक मंडल अभियंता दूरसंचार (एडीईटी), समूह 'क', दूरसंचार विभाग – सदस्य; (3) सहायक निदेशक (एडी)/ उपमंडल अभियंता (एसडीई), समूह 'ख', दूरसंचार	लागू नहीं होता।

नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 3 (21700-69100 रुपये)या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 10 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ संख्या 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभाग – सदस्य ।	

[फा. सं. - 9-11(02)/2024-स्थापना(आर.आर.)]

रोशनी सोहनी, उप महानिदेशक (स्थापना)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICAION

New Delhi, the 11th December, 2024

G.S.R. 762(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Telecom Assistant (TA) in the Department of Telecommunications, namely:-

1. Short title and Commencement. – (1) These Rules may be called the Department of Telecommunications, Telecom Assistant (TA) Group 'C' Post Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Telecom Assistant (TA)	31* (2024) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 5 in the pay matrix (Rs:29200-92300)

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 27 years (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential :**Minimum three years Engineering Diploma in Telecommunications or Electronics or Electrical or Electronics and Communications or Computer Science or Information Technology or Cyber Security and Big Data Analysis or Internet of Things (IoT) or Instrumentation from a recognized Institute or University; or Bachelor of Science (B.Sc.) in Electronics or Computer Science from a recognized University or Institute. **Desirable:** (i) Bachelor's Degree in Engineering in Telecommunications or Electrical or Electronics or Electronics and Communication or Computer Science or Information Technology or Instrumentation Engineering from a recognized Institute or University; or (ii) Master of Science (M.Sc.) in Electronics or Computer Science from a recognized University or Institute. **Note**: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Two years. **Note**: The probation period will	100% by Direct Recruitment failing which by deputation (including short-term contract).

	include the mandatory induction training for a certain time period as stipulated by Department of Telecommunications (DoT).	

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If Departmental Promotion Committee (DPC) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission (UPSC) to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government, State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, PSUs, University or Recognised Research Institutions: (a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column No. 7. **Note 1**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age-limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Promotion Committee (for considering the confirmation) consisting of: (1) Director, Group 'A', Department of Telecommunications – Chairman; (2) Assistant Director General (ADG)/Assistant Divisional Engineer Telecom (ADET), Group 'A', Department of Telecommunications – Member; (3) Assistant Director (AD)/Sub Divisional Engineer (SDE), Group 'B', Department of Telecommunications – Member.	Not Applicable

[F. No. . 9-11(02)/2024-Estt(RR)]

ROSHNI SOHNI, Deputy Director General (Establishment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.12.12 16:06:01 +05'30'